

email: cfbhagi-forest-uk@nic.in

फोन/फैक्स-0135-2431159,



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक - 661 / 12-1 दिनांक, मुनिकीरेती 3 / 11 / 2020,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (लम्बाई-2.50 कि०मी०)। FP/UK/ROAD/41009/2019)।

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का पत्रांक-1357 / 12-1, दिनांक-05.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत मोटर मार्ग जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (लम्बाई-2.50 कि०मी०) का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मूल प्रति सहित 3 प्रतियों में संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ० धीरज पाण्डेय)

वन संरक्षक

संख्या - / , उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० धीरज पाण्डेय)

वन संरक्षक

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)


प्रस्तावक संख्या-FP/UK/ROAD/41009/2019.

प्रस्ताव का नाम- जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव (लम्बाई-2.50 कि०मी०)।

1. स्थल, जहाँ को वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख
और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। नहीं
2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है। हाँ
3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। संस्तुति की जाती है।

तिथि 03-11-2020
स्थान-मुनिकीरेती।

नाम और पदनाम

हस्ताक्षर

(डॉ० धीरज पाण्डेय)
वन संरक्षक,
भ्रमीरथी वृत्त

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए
राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकू
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि.....
स्थान-मुनिकीरेती।

नाम और पदनाम

हस्ताक्षर: